बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020....5334.... पटना, दिनांक :–30/6/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 300 दिनांक 21.04.2023 द्वारा श्री अंकुर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03813) के विरूद्ध यह प्रतिवेदित किया गया है कि ये शिविर–सिंहेश्वर के मौजा–बेरबन्ना, थाना नं0–16 के 2276 खेसरों के विरूद्ध विगत 06 माह में मात्र 630 खेसरों का याद्दाश्त लेखन का प्रतिवेदन दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य में सुधार लाने के दृष्टिकोण से बंदोबस्त कार्यालय स्तर से कई बार निदेशित किया गया है, इसके बावजूद भी इनके कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ये कार्य करने में सक्षम नहीं दिखते हैं और न ही कार्य सीख कर कार्य करने की प्रवृति भी इनके अन्दर दिखती है, जिसके आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4094 दिनांक 02.05.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि इनके द्वारा मौजा बेरबन्ना में किस्तवार कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं खानापुरी कार्य प्रगति पर है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 09.11.2022 को इनके दाये हाथ की हड्डी टूट गयी थी, जिसके कारण कार्य में विलंब हुआ है।

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित दस्तावेजों / अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। आरोपित द्वारा स्वयं की दिनांक 09.11.2022 को दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही गयी है। इनका यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि ये उक्त शिविर में माह मई, 2022 से कार्यरत हैं। इनके कथन से स्पष्ट है कि उक्त मौजा का किस्तवार कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया गया है। इनके स्पष्टीकरण से यह भी स्पष्ट है कि आरोप से बचने हेतु दुर्घटनाग्रस्त होने का सहारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनपर लगाए गए आरोपों को खंडित करता हो।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा समय–सीमा निर्धारित की गयी है, जिस हेतु योजना अवधि के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण किया जाना है। ऐसे संविदा कर्मी के कार्य शिथिलता एवं कार्यो में बरती जा रही लापरवाही जैसे कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर न पड़ने के दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अंकुर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03813) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

30/6/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 5334 **पटना, दिनांक** :– 30/6/2023
प्रतिलिपि :– श्री अंकुर कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03813), बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 5334 **पटना, दिनांक** :–30/06/2023
प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(मधेपुरा)–41 / 2020 5334 **पटना, दिनांक** :–30/06/2023
प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 30/6/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप